न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 61/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. नारायण पुत्र श्री बालूराम जाति चमार निवासी ग्राम खेड़ली सैयद, तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... प्रतिवादीगण/रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री श्योरामसिंह नरूका अभिभाषक अपीलांट
2.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.01.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 279/5 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम खेड़ली सैयद का हाल ख0 नं0 335 रकबा 0.75 है0 सिवायचक था जो काफी बड़ा रकबा था जिसमें से 3 बीघा भूमि रामजीलाल पुत्र सुखा चमार निवासी खेड़ली सैयद को दि0 18.09.1975 को आवंटन हुई थी । आवंटन के बाद आवंटी ने उक्त आराजी की गैर खातेदारी प्राप्त की और गैर खातेदारी का इन्तकाल दर्ज हुआ । इसके बाद आवंटी ने सहायक कलक्टर अलवर के आदेश दि0 26.06.1981 के तहत उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त कर ली जिसका इन्तकाल सं0 588 आवंटी के पक्ष में दर्ज व मंजूर होकर कागजात माल में बतौर अमल कर दिया । इसके बाद अलोटी खातेदार रामजीलाल ने उक्त आराजी साबिक ख0 नं0

279/5 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम खेड़ली का बाजाब्ता रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि0 21.07.1987 को 36000 रू0 में वादी को विक्रय कर दिया तथा मौके पर कब्जा दे दिया । उक्त बयनामें के बाद इन्तकाल सं0 819 दि0 23.09.1987 वादी के पक्ष में दर्ज होकर मंजूर हो गया । वादी विवादित आराजी का सद्भावी क्रेता एवं रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बाद में विवादित आराजी हाल ख0 नं0 335 रकबा 0.35 किस्म बारानी 2 अंकित करते हुए दीगर आराजीयात के साथ–साथ खाता सं0 512 नया में चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रेकार्ड कर दिया जिसका उन्हें कोई कानूनन हक नहीं था । विवादित आराजी चारागाह भूमि नहीं है न ही कभी चारागाह के काम में आयी है । अतः विवादित आराजी जिसे राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के नाम व चारागाह दर्ज किया है उस इन्द्राज को वादी के हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर एवं नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने वाद व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़ली सैयद में वादी का वाद दि0 19.05.2017 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 19.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट में पेश किया था जिसमें तहत न्यायालय द्वारा कोई तनकीयात कायम नहीं की गई ना ही दोनों पक्षों की साक्ष्य ली गई और ना ही दावे का मैरिट पर निर्णय किया गया । तहत न्यायालय द्वारा रेस्ज्यूडिकेटा के आधार पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है जो काबिल निरस्ती योग्य है क्योंकि मिन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट पर रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । रेस्ज्यूडिकेटा का बिन्दु जब प्रभावी होता जब उसी बिन्दू का दीगर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो या मैरिट पर निर्णय कर दिया गया हो ।

बहस में आगे कहा कि तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि उक्त खसरा नम्बर बाबत 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो निर्णय व आदेश अपीलांट द्वारा पेश वाद पर प्रभावी नहीं होता है क्योंकि अपीलांट तहत न्यायालय में प्रस्तुत वाद इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है पूर्व का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश कियका गया था जो पृथक–पृथकप्रकृति व अनुतोष के वाद है । एल.आर.एक्ट के तहत केवल गलत इन्द्राज का संशोधन किया जाता है । तहत न्यायालय में अपीलांट द्वारा पेश वादपत्र को खारिज करने बाबत रेस्पो0 द्वारा रेस्ज्यूडिकेटा का प्रार्थना पेश नहीं किया गया था । तहत न्यायालय द्वारा स्वयं ही कैम्प कोर्ट के दौरान उक्त निर्णय पारित किया है जो कि कोटा पूर्ण करने की नियत से किया गया" । ख0 नं0 335 वाके ग्राम खेड़ली सैयद मौके पर काफी बड़ा रकबा है जो करीब 75 ऐयर का है जो कि नक्शें में भी 75 ऐयर का दर्ज है लेकिन उसे जमाबन्दी में 35 ऐयर दौराने सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा

गलत दर्ज किया गया है जबकि सैटलमेन्ट कर्मचारियों को अपीलांट के हक में दर्ज खातेदारी को ही रिपीट करना चाहिए था ।

अपीलांट का बहस में यह भी कथन है कि पूर्व में उपखण्ड अधिकारी को एल.आर. एक्ट 136 के तहत आवेदन दिया और उसे खिलाफ कानून खारिज कर दिया । पुनः दावा को सी.पी.सी. के प्रावधान 10 धारा के तहत गलत खारिज कर दिया । अपीलांट द्वारा समस्त दस्तावेज पेश किये हैं और यह भी कहा है कि यह प्रकरण चारागाह पर कब्जे के आधार पर डिक्री का नहीं है बल्कि बन्दोबस्त द्वारा खातेदारी को गलत रूप से चारागाह दर्ज करने के खिलाफ है । यह खातेदार का इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण है ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2012 पेज 172, आर.आर.टी. 2011–12 पेज 300, आर.आर.डी. 2016 पेज 217, आर.आर.टी. 2015 पेज 1214, आर.आर.डी. 2013 पेज 143, आर.आर.टी. 2013–14 पेज 303 पेश किये ।

जवाब बहस में राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 335 रकबा 0.35 है0 को चारागाह से अपने नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया गया है । इस वाद से संबंधित एक प्रार्थना पत्र का निर्णय दि0. 31.01.2007 को मजमे आम शिविर में हो चुका है । निर्णयानुसार वादी का वाद निरस्त किया जाकर तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया गया था कि यदि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के हिस्से का प्रार्थी के कब्जे की चारागाह भूमि से विनिमय का प्रकरण पाया जावें तो नियमानुसार जिला कलक्टर को भिजवाया जावें । इसलिए वादी का वाद रेस्ज्यूडिकेटा की श्रेणी में पाये जाने पर सही खारिज किया गया है । साथ ही बहस में आगे कहा कि रेकार्ड के आधार पर न्यायोचित कार्यवाही की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 19.05.2017 का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि पूर्व में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत पेश आवेदन दिनांक 31.01.2007 को खारिज कर दिया है और अब उन्हीं आधारों पर पुनः वादपत्र पेश नहीं किया जा सकता है । अतः रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से वाद वादी खारिज किया गया । कानूनी नजीर आर. आर.टी. 2011–12 इस प्रकरण पर चस्पा होती है कि एल.आर.एक्ट तथा आर.टी.एक्ट 251 की धाराओं पर सी.पी.सी. 11 धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

राजस्व रेकार्ड के अनुसार नामान्तकरण सं0 304 से ख0 नं0 साबिक 279 को किस्म परिवर्तन करके चारागाह से विवायचक किया गया जिसके साथ अन्य ख0 नं0 14, 24, 25, 771, 279, 843, 797, 858 भी हैं जो 24.03.1976 को स्वीकृत किया गया । नामान्तकरण सं0 319 वाके ग्राम खेड़ली सैयद के द्वारा दिनांक 24.03.1976 से साबिक ख0 नं0 279 मिन रकबा 3 बीघा किस्म सिवायचक से रामजीलाल के आवंटन होने पर गैर खातेदारी दर्ज की गयी तथा जमाबन्दी संवत 2033 में अमल दर्ज किया गया । नामान्तकरण सं0 588 दि0 26. 06.1981 से रामजीलाल पुत्र सुखा जाति चमार को खातेदारी प्रदान की गयी जिसके अनुसार

आवंटी का कब्जा है । परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण में जमीन की किस्म पुनः चारागाह दर्ज कर दी और खातेदारी प्रदान कर दी ।

जमाबन्दी सम्वत् 2036 के खाता सं0 222 के अनुसार ख0 नं0 279 के 3 बीघा रकबा पर रामजीलाल पुत्र सुक्खा चमार साकिनदेह खातेदार का अंकन है तथा जमीन की किस्म बारानी दोयम अज चारागाह दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0 नं0 279 मिन से हाल ख0 नं0 335 रकबा 0.35 है0 कायम किया गया है जिसे बन्दोबस्त विभाग ने अपनी जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2070 गोचर सरकार के खातेदार में दर्ज कर दिया ।

अपीलांट का मुख्य कानूनी तर्क यही है कि बन्दोबस्त विभाग को किसी भी प्रकार से पूर्व के खातेदारी के इन्द्राजों को बदलने का अधिकार नहीं है । खातेदारी समाप्त करके विवादित आराजी को चारागाह सरकारी खाते में गलत दर्ज किया है और इस संबंध में विभिन्न अपीलेट न्यायालयों के कानूनी नजीरों का हवाला दिया है जिनका विवरण पूर्व में दिया है ।

न्यायालय का मत है कि एक खातेदार को यदि राजस्व न्यायालय से इस प्रकार की दुरूस्ती की रीलीफ प्राप्त नहीं होती है तो वह कहां पर जायेगा ? राजस्व न्यायालय ही इस प्रकार की गलत इन्द्राजों की दुरूस्ती कर सकते हैं । यहां प्रकरण चारागाह पर डिक्री का नहीं है बल्कि खातेदारी की आराजी को बन्दोबस्त विभाग द्धारा कानून के विरूद्ध चारागाह दर्ज करने की गलती को दुरूस्त करने का है और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों एवं राजस्व मण्डल द्धारा निर्णय प्रतिपादित किये गये हैं कि बन्दोबस्त विभाग पूर्व के इन्द्राजों को नहीं बदल सकते हैं । कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2016 पेज 217, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1214, आर.आर.डी. 2013 पेज 143, आर.आर.टी. 2013–14 पेज 303 पूर्ण रूप से चस्पा होती है । अतः बन्दोबस्त के चारागाह के रूप में दर्ज गलत इन्द्राज काबिल दुरूस्ती है तथा तहत अदालत द्धारा 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज वाद का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय का आदेश दि0 19.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा बन्दोबस्त विभाग द्धारा खातेदारी अधिकार समाप्त कर चारागाह दर्ज करने के इन्द्राजों को दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है । चूंकि विवादित आराजी को मूल आवंटी खातेदार रामजीलाल पुत्र सूखा चमार निवासी खेड़ली सैयद द्धारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से अपीलांट को हस्तान्तरित कर दी है । अतः अपीलांट उसी अनुसार अपने आपको खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दि0 19.05.2017 खारिज किया जाता है । बन्दोबस्त द्धारा गलत इन्द्राजों को दुरूस्त कर मूल आवंटी को पुनः साबिक रेकार्ड के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है अपीलांट अपने बयनामा के आधार पर दर्ज पूर्व खातेदार की हैसियत से अपने आपको रेकार्ड में खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है । तहसीलदार और जिला कलक्टर अलवर को निर्णय की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें । पर्चा डिक्री जारी हो । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

28.1.19

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.1.19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर